समक्ष दि० .... को पेश हो।

07/02/23 पत्रावली पेश हुयी। कोर्ट आदेश नहीं है। वादी व वादी वकील को बार-बार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी व वादी वकील के बावजूद रखवना आदेश से पत्रावली अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नकल तक्मील होकर रिकार्ड में दाखिल हो। बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज0